647

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(580)नविवि/2/2012 जयपुर, दिनांकः 15 MAY 2014

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.09.2012 द्वारा पूर्व महाराजा जयपुर का राज्य सरकार के साथ जिन सम्पत्तियों के संबंध में विवाद हैं (कुछ सम्पत्तियां जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम हैं तथा कुछ सम्पत्तियां सामान्य प्रशासन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हैं) का Covenent को ध्यान में रखते हुए पूर्ण परीक्षण कर विवादित प्रकरणों को सुलझाने की दृष्टि से रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक संयुक्त दल का गठन किया गया था।

संयुक्त दल में पूर्व में श्री महावीर स्वामी, तत्समय वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी एवं श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, तत्समय संयुक्त शासन सचिव–तृतीय को क्रमशः नामजद सदस्य एवं सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था। श्री महावीर स्वामी के सेवानिवृत्त होने एवं श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा के स्थानान्तरण होने के कारण इनके स्थान पर निम्नानुसार नियुक्ति की जाती हैः–

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि — सदस्य
2. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नविवि — सदस्य सचिव

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डी.बी. गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव–प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. श्री एम.के. खन्ना, सेवानिवृत्त आई.ए.एस., कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. श्री गिरिराज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. एस्टेट ऑफिसर (सम्पदा अधिकारी), सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय